संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
(विकिरण सुरक्षा इकाई)
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रं. डी.आर.एस.–एम.पी./2017/ 17 भोपाल, दिनांक 31/08/2017

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः– ए.ई.आर.बी. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन करने बाबत्।

संदभः– 1. पत्र क्र. डी.आर.एस./एम.पी./2013/563–669 भोपाल दिनांक 12/9/2013
2. पत्र क्र./विकिरण/2016/20 भोपाल दिनांक 26/04/2016
3. पत्र क्र. विकिरण/2016/22–24 भोपाल दिनांक 18/5/2016
4. पत्र क्र. डी.आर.एस./एम.पी./2017/04 भोपाल दिनांक 03/2/2017

संदर्भित पत्रों के द्वारा आपको पूर्व में परमाणु उर्जा एक्ट 1962 तथा परमाणु उर्जा विकिरण सुरक्षा नियम 2004 का पालन करने के संबंध में मार्गदर्शन एवं दिशानिर्देश प्रदान किये गये हैं जिसके अनुसार निजी एवं शासकीय सभी चिकित्सालयों के विकिरण विभाग में परमाणु उर्जा नियामक बोर्ड के मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

विकिरण सुरक्षा एक्ट 1962 एवं परमाणु उर्जा (विकिरण सुरक्षा) नियम 2004 विभाग की वेबसाईट तथा ए.ई.आर.बी.की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

यह देखा गया है कि अभी भी कई निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों में इन मापदण्डों का पालन नहीं किया ज़ा रहा है, इन मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाये जो चिकित्सालयों का भ्रमण कर संस्था प्रभारी को ए.ई.आर.बी. की गाइडलाईन से अवगत कराये तथा निर्धारित मापदण्डों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। इस समिति हेतु निम्नानुसार सदस्यों को नामांकित किया जाये।

1. रेडियोलॉजिस्ट
2. एक चिकित्सा अधिकारी
3. एन.एच.एम. के उपयंत्री

जिस जिले में रेडियोलॉजिस्ट पदस्थ नहीं हों वहां इनके स्थान पर रेडियोलांजी विभाग के प्रभारी चिकित्सक हड्डी रोग विशेषज्ञ को समिति मे नामांकित करें।

शासकीय संस्थाओं हेतु आवश्यकता अनुसार लेड एप्रन टी.एल.डी. बैजेस, वार्निंग लाईट्स, चेस्ट स्टेंड आदि की व्यवस्था उपलब्ध आवंटन से भंडार क्रय नियमों का पालन पूर्ण करते हुए की जा सकती है।

जिन संस्थाओं में मानक अनुसार व्यवस्था नहीं है उसे शीघ्र स्थापित/पूर्ण करायें। भविष्य में किये जाने वाले निरीक्षण में विकिरण सुरक्षा सबंधी मानक स्तर की व्यवस्था न पाये जाने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संचालक
विकिरण सुरक्षा इकाई
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

पृ.क्रं. डी.आर.एस.–एम.पी./2017/18 भोपाल, दिनांक 31/08/2017

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. डॉ. ए.यू. सोनवाने, प्रमुख अ.र.एस.डो. ए.ई.आर.बी., मुम्बई।
4. संचालक (बजट), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. मुख्य अभियन्ता, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश।

संचालक
विकिरण सुरक्षा इकाई
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.